उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2
संख्या-36/सीपी 377/84-2-2013-सीपी 3/2011
लखनऊ : दिनांक : 30 सितम्बर, 2013

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

अधिसूचना संख्या-सीपी 222/84-2-2011-सीपी 3/2011, दिनांक 10 मई, 2011 द्वारा श्री वासुदेव चतुर्वेदी पुत्र स्व0 श्री काशी नाथ चतुर्वेदी, डी-33/15, 16 खालिसपुरा, दशाश्वमेघ, वाराणसी की नियुक्ति जिला उपभोक्ता फोरम, वाराणसी में सामान्य सदस्य (पूर्णकालिक) पद पर की गयी थी। श्री वासुदेव चतुर्वेदी द्वारा अपने पद पर कार्यभार भी ग्रहण कर लिया गया था।

2. निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 के पत्र संख्या-2086/एससीडीआरसी/यूपी/अधि 93/11, दिनांक 30 अगस्त, 2013 द्वारा अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, वाराणसी के पत्र दिनांक 05-08-2013 एवं उसके साथ संलग्न श्री वी0डी0 चतुर्वेदी, सामान्य सदस्य, वाराणसी के पत्र दिनांक 01-08-2013 की मूल प्रति उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया है कि श्री चतुर्वेदी द्वारा अपने स्वास्थ्य तथा घरेलू समस्याओं के दृष्टिगत त्यागपत्र देकर दिनांक 01.08.2013 से स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है। निबन्धक, राज्य आयोग द्वारा भी श्री वी0डी0 चतुर्वेदी, सामान्य सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, वाराणसी का त्यागपत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

3. अत: निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 के अनुरोध के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त जिला उपभोक्ता फोरम, वाराणसी के सामान्य सदस्य (पूर्णकालिक) पद से श्री वी0डी0 चतुर्वेदी द्वारा स्वेच्छा से दिये गये त्यागपत्र को दिनांक 01.08.2013 के पूर्वान्ह से स्वीकार करने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

दीपक त्रिवेदी
प्रमुख सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्या-36/सीपी 377(1)/84-2-2013, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्तखण्ड-1, गोमतीनगर, लखनऊ ।
(2) जिलाधिकारी, वाराणसी।
(3) कोषाधिकारी, वाराणसी।
(4) कार्यालय, जिला उपभोक्ता फोरम, वाराणसी (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)।
(5) श्री वासुदेव चतुर्वेदी पुत्र स्व0 श्री काशी नाथ चतुर्वेदी, डी-33/15, 16 खालिसपुरा, दशाश्वमेघ, वाराणसी।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in